



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231428
CG-DL-E-27112021-231428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]
No. 606]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/34/2012-डीडी/53/2012/बीओडी/177/2014.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. पराग विनोदचंद्र मेहता (सदस्यता सं. 036867), 114/114-ए, जॉली भवन नंबर 1, 10, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई 400 020 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. पराग विनोदचंद्र मेहता (सदस्यता सं. 036867) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. पराग विनोदचंद्र मेहता (सदस्यता सं. 036867) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./470/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/34/2012-DD/53/2012/BOD/177/2014.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Parag Vinodchandra Mehta (Membership No. 036867), 114/114-A, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine Lines, MUMBAI 400 020**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Parag Vinodchandra Mehta (Membership No. 036867)** from the Register of Members for a period of 3(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Parag Vinodchandra Mehta (Membership No. 036867)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 3(Three) months with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./470/2021-22]